आदेश	कार्यवाही विवरण [illegible] आदि बनाम मैसर्स श्री सीमेन्ट [illegible]	अनुपालना के क्रमांक एवं दिनांक
13-05-22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील आवेदक ने प्रकरण में निवेदन किया कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध पक्षकारान द्वारा बहिनो के नाम दर्ज करने की सहमति प्रदान की जा चुकी है तथा मूल वाद में सहमति के आधार पर निर्णित करना पक्षकारान द्वारा जाहिर किया। मूल वाद में पक्षकारान में सहमति होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। ए.सी.जे.एम. (फा.टे.) नवलगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:01 IST
Reason: SelfAttested